न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित: **सत्यपाल सिंह प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP01829**

UPKU010042432026

1. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1250/2026

नन्हें पासवान बउम्र 44 वर्ष पुत्र राजेन्द्र पासवान,
साकिन–मोहन पट्टी, थाना–महुआडीह, जिला–देवरिया,

---- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

---अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०–150/2026,
धारा–3 (1) उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० 1986,
थाना– कप्तानगंज,
जिला–कुशीनगर।

एवं

UPKU010042422026

2. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1251/2026

किशन पटेल बउम्र 30 वर्ष पुत्र वकील,
साकिन–सहोदर पट्टी, थाना–महुआडीह, जिला–देवरिया,

---- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

---अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०–150/2026,
धारा–3 (1) उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० 1986,
थाना– कप्तानगंज,
जिला–कुशीनगर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण नन्हें पासवान व किशन पटेल द्वारा उपरोक्त मामले में पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या, घटना एवं थाना से सम्बन्धित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि धानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह को पूर्व में मय हमराहीयान कर्मचारीगण लगातार क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जानकारी मिलती रही कि अभियुक्त नन्हे पासवान एक शातिर किस्म का अपराधी है। इनका एक संगठित गिरोह है। गैंग लीडर स्वंय अपने गिरोह के सदस्यो किशन पटेल, सोना देवी के साथ आर्थिक व भौतिक दुनियादी या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामुहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर गोकशी जैसे जघन्य अपराध कारित करते रहते हैं। सामान्यतः इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति अभियोग दर्ज कराने व गवाही देने से डरता है। गिरोह के सरगना एवं सदस्यो का सामान्य जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। जिसके कारण गिरोह के सरगना एवं सदस्यो का स्वतन्त्र विचरण करना समाज में न्यायोचित नहीं है। यह गैंग B.N.S. के अध्याय 17 में वर्णित अपराधो का अपराध करने का आदि है। गैंग लीडर नन्हे पासवान अपने सह अभियुक्तगण उपरोक्त के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रहे है। जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में घटना कारित किया है। जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं० 348/2024, धारा 3/5A/5B/8 गो निवारण अधिनियम थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराधो का प्रमाणित क्षेत्र जनपद कुशीनगर के विभिन्न थाना क्षेत्र में अभियुक्तगण गोकशी जैसे जघन्य अपराधो मे सक्रिय रहते हुए अभी तक अपराध में सक्रियता इनकी बनी हुई है। उक्त गैंग लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते है। तथा स्वंय एवं गैंग के अन्य सदस्यो के अनुचित आर्थिक भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य कर आतंक फैलाने का कार्य करते है। अपराधो से अर्जित धन से चल, अचल सम्पत्ति बनाये हुये है। इनके आपराधिक क्रिया कलाप के कारण सामान्य जन इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने, साक्ष्य देने से कतराते है। इस गैंग के आपाराधिक कृत्य से जनता मे भय एंव दहशत का माहौल है। इस गैंग के लीडर व गैंग के सदस्य वयस्क व जीवित है तथा अभ्यस्त शातिर किस्म के अपराधी है।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थीगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें गलत रूप से फंसाया गया है। प्रार्थीगण का जनता में किसी प्रकार का कोई भय या आतंक व्याप्त नहीं है और न ही प्रार्थीगण किसी भी सक्रिय गैंग का लीडर है। थाना कप्तानगंज की पुलिस ने गैंग चार्ट में जिस आपराधिक मुकदमें का उल्लेख किया है, उसमें प्रार्थीगण की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। उपरोक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी जनता का नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। अन्त मे प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु

याचना की गई।

5– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के लीडर/सदस्य है, जो गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ को बिहार भेजकर उनका बध करवाते है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

6– न्यायालय द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक, गैंगस्टर एक्ट व प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

7– प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि वे एक संगठित गिरोह के लीडर व सदस्य है तथा अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये उसके द्वारा गोवंशीय पशुओ को बिहार भेजकर बध करवाने जैसे गंभीर अपराध कारित किये जाने का आरोप है। थाने द्वारा गैंग चार्ट के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अप०सं० 348/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना कप्तानगंज, जिला कुशीनगर दर्ज है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गैंग चार्ट में अंकित मुकदमे में अभियुक्तगण का जमानत हो चुकी है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामले में पुलिस द्वारा अभी तक ऐसा कोई सर्वोत्तम साक्ष्य संकलित नहीं कर पायी है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता हो कि अभियुक्तगण गैंग के लीडर/सदस्य के तौर पर गोवंशी पशुओ से संबंधित अपराध कारित करता हो। सभी आरोपित अपराध विचारण का विषयवस्तु हैं। प्रार्थीगण दिनांक 25.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में गवाह पुलिस के लोग है, जिन्हें डराने व धमकाने की सम्भावना नगण्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त हैं। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **नन्हें पासवान** व **किशन पटेल** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि का दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर विवेचना में सहयोग करेगें।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभियोजन के गवाहों को डरायेगें या धमकायेगें नहीं।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गवाहों के उपस्थित होने पर स्थगन नहीं देगें।

5– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आरोप विरचित किये जाते समय एवं धारा–313 दं०प्र०सं० के बयान अंकित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की

ओर से किया जाता है तो अभियोजन को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत निरस्त कराने का एक पर्याप्त आधार होगा।

इस जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1251/2026 किशन पटेल बनाम सरकार की पत्रावली पर रखी जाय।

दिनांक 08.06.2026

(सत्यपाल सिंह प्रेमी)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी–I,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.06.08 16:06:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court